

**इलाहाबाद उच्च न्यायालय****आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या - 26773/2026**

योगेंद्र प्रजापति

.....आवेदक

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

.....विपक्षी पक्षकार

आवेदक के अधिवक्ता : प्रवीण कुमार सिंह, सैयद इमरान

इब्राहीम

विपक्षी पक्षकार के अधिवक्ता : शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 65**माननीय समीर जैन, न्यायमूर्ति**

1. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता, श्री प्रवीण कुमार सिंह तथा राज्य की ओर से विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता-I, डॉ. एस.बी. मौर्य को सुना गया।
2. वर्तमान जमानत आवेदन मुकदमा अपराध संख्या 132/2026, अंतर्गत धारा 190, 191(2), 103(2), 324(5), 3(5) बीएनएस, थाना-फूलपुर, जनपद-वाराणसी में विचारण लंबित रहने के दौरान आवेदक को जमानत पर रिहा किए जाने की माँग करते हुए प्रस्तुत किया गया है।
3. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता प्रस्तुत करते हैं, तथापि, आवेदक को सात अन्य व्यक्तियों के साथ एफआईआर में नामजद किया गया है तथा आरोप के अनुसार नामजद अभियुक्तों ने अपने अज्ञात साथियों के साथ मिलकर मारपीट की जिसके कारण सूचनाकर्ता के भतीजे को गंभीर चोटें आईं और मृत्यु हो गई किंतु एफआईआर से यह स्पष्ट है कि मामले का सूचनाकर्ता स्वयं घटना का प्रत्यक्षदर्शी नहीं था।
4. वह आगे प्रस्तुत करते हैं, विवेचना के दौरान हालाँकि विवेचक ने दो प्रत्यक्षदर्शी गवाहों, बृजेश गौड़ और अंकुर सिंह के बयान दर्ज किए किंतु उनके बयानों यह परिलक्षित होता है, वे विश्वसनीय गवाह नहीं हैं क्योंकि उनके द्वारा बताई गई कहानी प्रथम दृष्टया झूठी प्रतीत होती है और वे संयोगवश उपस्थित हुए गवाह भी प्रतीत होते हैं।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

5. वह आगे प्रस्तुत करते हैं, उपर्युक्त गवाहों के बयानों से भी यह परिलक्षित होता है, कुल तेरह अभियुक्तों में से सह-अभियुक्त आशीष राजभर को छोड़कर सभी अभियुक्तों को केवल सामान्य भूमिका सौंपी गई है तथा उनके अनुसार सह-अभियुक्त आशीष राजभर ही वह व्यक्ति था जिसने ईंट से मृतक के सिर पर चोट पहुंचाई थी। वह आगे प्रस्तुत करते हैं, बिना किसी ठोस साक्ष्य के आवेदक को वर्तमान मामले में अभियुक्त बनाया गया है।
6. वह आगे प्रस्तुत करते हैं, सह-अभियुक्त मनोज प्रजापति और गोविंद राजभर को इस न्यायालय द्वारा क्रमशः 23.07.2026 और 24.07.2026 को आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या 24169/2026 तथा 25483/2026 में पारित आदेशों द्वारा जमानत पर रिहा किया जा चुका है और आवेदक का मामला भी उनके समान है।
7. वे आगे प्रस्तुत करते हैं, आवेदक का कोई पूर्व आपराधिक इतिहास नहीं है और वर्तमान मामले में वह अप्रैल, 2026 से जेल में है।
8. इसके विपरीत, विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता ने जमानत की प्रार्थना का विरोध किया किंतु आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा तथ्यों के संबंध में प्रस्तुत तर्कों का खंडन नहीं कर सके।
9. मैंने दोनों पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना तथा मामले के अभिलेख का परिशीलन किया।
10. तथापि, आवेदक को अन्य व्यक्तियों के साथ एफआईआर में नामजद किया गया है और आरोप के अनुसार आवेदक तथा उसके अज्ञात साथियों द्वारा पहुंचाई गई चोटों के कारण मृतक घायल हुआ और मृत्यु हो गई किंतु एफआईआर से यह स्पष्ट है कि मामले का सूचनाकर्ता घटना का प्रत्यक्षदर्शी नहीं था।
11. इसके अतिरिक्त, तथापि यह परिलक्षित होता है, विवेचना के दौरान विवेचक द्वारा दो प्रत्यक्षदर्शी गवाहों, बृजेश गौड़ और अनुर सिंह के बयान दर्ज किए गए और उन्होंने आवेदक का नाम बताया किंतु सह-अभियुक्त आशीष राजभर को छोड़कर सभी अभियुक्तों को केवल सामान्य भूमिका सौंपी और उनके अनुसार सह-अभियुक्त आशीष राजभर ही वह व्यक्ति था जिसने ईंट से मृतक के सिर पर चोट पहुंचाई थी।

12. इसके अतिरिक्त, इन गवाहों के बयानों पर विचार करने के पश्चात भी यह न्यायालय को आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत तर्क में बल प्रतीत होता है कि उनके बयान प्रथम दृष्टया विश्वसनीय प्रतीत नहीं होते हैं।

13. इसके अतिरिक्त, तथापि, अभिलेख यह भी सुझाव देता है कि उपर्युक्त प्रत्यक्षदर्शी गवाहों के बयान दर्ज करने के बाद विवेचक ने कुछ अन्य प्रत्यक्षदर्शी गवाहों के बयान भी दर्ज किए किंतु उन्होंने भी बृजेश गौड़ और अंकुर सिंह द्वारा बताई गई वही कहानी दोहराई तथा उनके बयान भी काफी विलंब से दर्ज किए गए प्रतीत होते हैं।

14. इसके अतिरिक्त, सह-अभियुक्त मनोज प्रजापति और गोविंद राजभर को इस न्यायालय द्वारा पहले ही जमानत पर रिहा किया जा चुका है और आवेदक का मामला भी उनके समान है।

15. इसके अतिरिक्त, आवेदक का कोई पूर्व आपराधिक इतिहास नहीं है और वर्तमान मामले में वह अप्रैल, 2026 से जेल में है।

16. अतः, ऊपर चर्चा किए गए मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, मेरे विचार में, आवेदक जमानत पर रिहा किए जाने का पात्र है।

17. तदनुसार, मामले के गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त किए बिना, वर्तमान जमानत आवेदन स्वीकार किया जाता है।

18. उपर्युक्त मामले में आवेदक- योगेंद्र प्रजापति को संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अनुसार एक व्यक्तिगत बंधपत्र तथा समान राशि के दो जमानतदार प्रस्तुत करने निम्नलिखित शर्तों के अधीन जमानत पर रिहा किया जाए:-

(i) आवेदक निर्धारित तिथियों पर विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित होगा, जब तक कि उसकी व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट न दी गई हो।

(ii) आवेदक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मामले के तथ्यों से परिचित किसी व्यक्ति को किसी प्रकार का प्रलोभन, धमकी या वादा नहीं करेगा, जिससे वह ऐसे तथ्यों को न्यायालय या किसी पुलिस अधिकारी के समक्ष प्रकट करने से विमुख हो जाए अथवा साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ करे।

(iii) आवेदक किसी आपराधिक अथवा समाज-विरोधी गतिविधि में संलिप्त नहीं होगा।

19. उपर्युक्त किसी भी शर्त के उल्लंघन की स्थिति में, अभियोजन पक्ष को इस न्यायालय के समक्ष आवेदक की जमानत निरस्त किए जाने हेतु आवेदन प्रस्तुत करने की स्वतंत्रता होगी।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा ।

20. यह स्पष्ट किया जाता है कि यहां की गई टिप्पणियाँ जमानत आवेदन के निस्तारण के प्रयोजन से पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत तथ्यों तक ही सीमित हैं और इन टिप्पणियों का विचारण के दौरान मामले के गुण-दोष पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

अगस्त 3, 2026

(समीर जैन, न्यायमूर्ति)

Translated Judgment. Not for Legal Use.

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा ।